



हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 25.07.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना- जीयनपुर: आपत्तिजनक वीडियो बनाकर धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 24.07.2025 को वादिनी मुकदमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी रमेश चौधरी पुत्र स्व. सुखबू चौधरी निवासी राजा खाद्वारा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के घर आना जाना अक्सर लगा रहता था। वादिनी का पति केरल राज्य में काम करते हैं, एक दिन रमेश चौधरी वादिनी के घर में आया और वादिनी के साथ छेड़खानी की गयी, मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, दिनांक 19/07/25 को समय दोपहर के 02 बजे वादिनी के नम्बर पर वीडियो काल कर मेरी अर्धनग्न वीडियो की रिकार्डिंग कर वायरल कर रहा है, मना करने पर गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 292/2025 धारा 352/351(3)/76BNS व 67 A IT ACT बनाम रमेश चौधरी पुत्र स्व. सुखबू चौधरी निवासी राजा खाद्वारा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री अशोक कुमार तिवारी क्षेत्राधिकारी कार्यालय सगड़ी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 25.07.2025 को उ0नि0 जाफर खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश चौधरी पुत्र स्व0 सुखबू चौधरी निवासी सूरैना थाना रौनापार जपनद आजमगढ़ को लाटघाट तिराहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से समय 9:35 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-रमेश चौधरी पुत्र स्व0 सुखबू चौधरी निवासी सूरैना थाना रौनापार जपनद आजमगढ़ को लाटघाट तिराहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 292/2025 धारा 352/351(3)/76BNS व 67 A IT ACT थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ **गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 जाफर खान थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 सौरभ सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़



02.थाना- जीयनपुर: गैर-इरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 06 अभियुक्त हो चुके हैं गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक 22.07.2025 को आवेदिका माया पत्नी अजय निवासी हैरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 21/7/25 को समय करीब 7 बजे पुरानी रंजीश को लेकर गांव के 1.शैलेश पुत्र रामवृक्ष 2.देवआशीष पुत्र राजेश 3.आशीष पुत्र हरिश्चन्द्र 4.राजेश पुत्र रामवृक्ष 5.साधू उर्फ सैलेन्द्र पुत्र रामवृक्ष 6.चन्द्रेश पुत्र बलकरन 7. राजू पुत्र बलकरन 8.सुरेन्द्र पुत्र जयकरन 9.डब्लू पुत्र जयकरन 10. सुनैना पत्नी सुरेन्द्र 11 विजेन्द्र पुत्र चैतू निवासीगण हैरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हमारे देवर सन्दीप व देवरान मन्जू को लाठी डण्डा से मार पीट रहे थे देवर सन्दीप व देवरान मन्जू की चिल्लाने की आवाज पर मेरे पति अजय बचाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर मेरे पति को बुरी तरह से लाठी डण्डा से मारने पिटने लगे मेरे पति अजय व सन्दीप व मन्जू के चिल्लाने की आवाज पर मैं मेरा वेटा समीर व अन्य लोग मौके पर पहुंचे बचाने की कोशिश किये उपरोक्त मुज्जीमान देवर सन्दीप व मेरे पति अजय को मरा समझ कर छोड़कर भाग गये मैं आस पास के लोगो की मदद से P.H.C हैरैया ले गयी जहा पर डा0 द्वारा हालत गम्भीर देखकर जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर कर दिया । आजमगढ़ सदर पहुंचते ही मेरे पति अजय रास्ते में ही दम तोड़ दिये तथा देवर सन्दीप व देवरान मन्जू की हालत गम्भीर बनी हुई है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/2025 धारा 3(5)/115(2)/105 BNS बनाम 1.शैलेश पुत्र रामवृक्ष निवासीगण हैरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ आदि 11 नफर के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्या द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

दिनांक 22.07.2025 को उ0नि0 अजय यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.चन्द्रशेखर उर्फ चन्द्रेश पुत्र बलकरन 2. सुरेन्द्र पुत्र जयकरन 3. सुनैना पत्नी सुरेन्द्र निवासीगण हैरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को मनिकाडीह चौराहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 23.07.2025 को उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्या मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र निवासी हैरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 25.07.2025 को उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्या मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. साधू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र स्व0 रामवृक्ष निवासी हैरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष 2. देवाशीष पुत्र राजेश निवासी हैरैया थाना जीयनपुर जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को चुनहवा चौराहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से समय 11:05 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्तगण के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल 02 अदद डण्डा को बरामद किया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. साधू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र स्व0 रामवृक्ष निवासी हैरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष
2. देवाशीष पुत्र राजेश निवासी हैरैया थाना जीयनपुर जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 288/2025 धारा 3(5)/115(2)/105 BNSथाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- देवाशीष पुत्र उपरोक्त

- 1.171/2018 धारा 323/325/452/504/506भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 288/2025 धारा 3(5)/115(2)/105 BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्या थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 राजीव कुमार मिश्रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
- 3.का0निलेश प्रताप सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़



03.थाना निजामाबाद: 08 वारण्टी गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देश पर वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 25.07.25 को थानाध्यक्ष हिरेन्द्र प्रताप सिंह थाना निजामाबाद द्वारा गठित टीम द्वारा विभिन्न मुकदमों में मा0 न्यायालय द्वारा जारी किये गये वारण्ट के अनुपालन में 08 नफर वारण्टी गिरफ्तार किये गये। बाद गिरफ्तारी वारण्टीगण को मा0 न्यायालय रवाना किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है-

1. शिव प्रकाश पाण्डेय पुत्र विश्वनाथ निवासी जमीनकटघर थाना निजामाबाद, आजमगढ़ उम्र 48 वर्ष
2. अखिलेश पुत्र घुल्लू निवासी मोलनापुर नेवादा थाना निजामाबाद, आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष
3. कमलेश पुत्र घुल्लू निवासी मोलनापुर नेवादा थाना निजामाबाद, आजमगढ़ उम्र 37 वर्ष
4. कैलाश पुत्र मटरू निवासी मोलनापुर नेवादा थाना निजामाबाद, आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष
5. अनिल गुप्ता पुत्र रामचेत निवासी काली माता का स्थान थाना निजामाबाद, आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष
6. दुलारे पुत्र कालिचरन निवासी मुकुन्दपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष
7. प्रदीप पुत्र कालिचरन निवासी मुकुन्दपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ़ उम्र 46 वर्ष
8. मुख्तरुनिसा पत्नी बदरूद्दीन निवासी घुरीपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रजीत यादव, उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. उ0नि0 कमला प्रसाद, उ0नि0प्र0 उमेश सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. म0उ0नि0प्र0 सानिया गुप्ता, म0उ0नि0प्र0 रूपम वर्मामय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़
4. उ0नि0 शमशाद खाँ, उ0नि0 सुरज प्रसाद मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़



04. थाना दीदारगंज: हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व का विवरण-

दिनांक- 07.07.2025 को वादी धुवनारयण सिंह पुत्र रामश्रय सिंह निवासी ग्राम इरनागोकुलपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी . शिवाजी उर्फ दिलबोस पुत्र संतोष सिंह 2. मनोज सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह 3. जयनाथ मिश्र पुत्र चण्डीप्रसाद 4. अमरनाथ सिंह पुत्र राजबली सिंह 5. संतोष सिंह पुत्र अमरनाथ सिंह निवासीगण ग्राम इरनागोकुलपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा जान से मारने कि नियत से लाठी डंडे व तलवार से हमला कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 187/25 धारा 115(2),352,351(3),109,3(5) बीएनएस बनाम 1. शिवाजी उर्फ दिलबोस पुत्र संतोष सिंह आदि 05 नफर पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 24.07.2025 उ0नि0 रूपेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमरनाथ सिंह पुत्र स्व0 राजबली सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 65 वर्ष को अभियुक्त के अपने घर इरनागोकुलपुर समय करीब 18.35 बजे नियमानुसार अभियुक्त के घर से हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.अमरनाथ सिंह पुत्र स्व0 राजबली सिंह ग्राम इरनागोकुलपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 65 वर्ष

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1. 187/25 115(2),352,351(3),109,3(5) बीएनएस दीदारगंज आजमगढ़

2. 241/22 452/323/504/34 IPC दीदारगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

2. चौकी प्रभारी रूपेश कुमार सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

